

कार्यालय कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

कय आदेश

क्रं./क्यू/3/रा.ले./2010/ 10151

भिण्ड दिनांक 16.7.10

प्रति,

महाप्रबंधक,  
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,  
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:-कोटवारों को जूते तथा महिला कोटवार को साड़ी ब्लाउज प्रदाय बाबत।

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश भण्डार कय नियमों के नियम 14 (अ) एवं (द) के अंतर्गत आपकी संस्था से कोटवारों को वरसाती जूते (गमबूट) तथा साड़ी एवं ब्लाउज कय करने का निर्णय आपकी दर सूची को दृष्टिगत रखते हुये लिया गया है। अतः आप निम्न मापानुसार एवं मापदण्डानुसार नीचे दर्शित शर्तों के अनुरूप प्रदाय करें :-

क्रं.	विवरण	बरसाती जूते (गमबूट)		साड़ी	ब्लाउज
		शूज नम्बर	संख्या		
1	2	3	4	5	6
1	पुरुषों के लिये	07	170	—	—
		08	500	—	—
		09	112	—	—
2	महिलाओं के लिये	05	40	—	—
		06	22	—	—
3	महिलाओं के लिये	—	—	62	62
	योग	—	844	62	62

शर्त :-

1 प्रदाय की जाने वाली सामग्री उपरोक्त आदेश दिनांक से 45 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से प्रदाय की जाना होगी। समयावधि में सामग्री प्राप्त न होने की दशा में आदेश निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

temporary



O/c

2 प्रबंधक, खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम मालवीय नगर भोपाल द्वारा प्रदाय दर सूची को दृष्टिगत रखते हुये प्रदाय माप दण्ड अनुसार होनी चाहिये, दिये गये सैंपल में भिन्नता होने पर तत्काल वापिस की जावेगी।

3 स्वीकृत नमूने के अनुसार क्वालिटी शासन मापदण्डानुसार एवं महिला वर्दी साड़ी, ब्लाउज की सुपुर्दगी जिला कार्यालय के प्रभारी राजस्व लेखा शाखा में भौतिक सत्यापन के पश्चात प्रदाय की जावेगी।

4 उपरोक्त कार्य में सामग्री का क्रय शासन नियमानुसार 30 प्रतिशत अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति के उद्यमियों/विक्रेताओं/इकाईयों/संस्थाओं/उत्पादकों से क्रय किया जाना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। इसमें भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जाये।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

डिप्टी कलेक्टर  
वास्ते कलेक्टर  
जिला भिण्ड

o/c

कार्यालय कोटर जिला भिण्ड मण्ड

--कृय आदेश--

क्रमांक/क्यू/3/रटोलो/10150

भिण्ड दिनांक 16.7.10

प्रति,

महाप्रबंधक,  
म.प्र. पावरलूम कुनकर सहकारी संघ मर्यादित,  
बुरहानपुर

*Regd Post*

विषय:-कोटवार वर्दी प्रदाय बाबत ।

--0--

इस कार्यालय द्वारा म.प्र. मण्डार कृय नियमों के नियम 14 "ब" के अंतर्गत आपकी संस्था से कोटवारों को सिली सिलाई वर्दी कृय करने का निर्णय आपकी दर सूची को इच्छिगत रखते हुये लिया गया है । अतः आप निम्न माप नुसार एवं मापदण्डानुसार तैयार वर्दी नीचे दर्शित शर्तों के अनुसार प्रदाय करें ।

क्रमांक	विवरण	मध्यम क्वालिटी					महिला पेटीकोट
		पेन्ट		शर्ट		टोपी	
		पेन्टसाइज	संख्या	शर्टसाइज	संख्या	संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8
1/वर्दी कोटवार पुरुषों के लिये	34 नंबर		800	40 नंबर	800	टोपी	
	36 नंबर		258	42 नंबर	200	अस्तर	
				44 नंबर	58	सहित 1058	स्टेण्डर्ड साइज
2/महिला कोटवार के लिये							62
	पेटीकोट स्टेण्डर्ड साइज						
योग:-			1058		1058	1058	62

शर्तें:-1.प्रदाय की जाने वाली कोटवार वर्दियां पूर्ण रूप से सिली होनी चाहिये।  
2.कोटवारों को प्रदाय की जाने वाली वर्दियां उपरोक्त आदेश दिनांक


*[Signature]*

*O/c*

से 45 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रदाय की जाना होगी । समयावधि में वर्दियां प्राप्त न होने की दशा में आदेश निरस्त की कार्यवाही की जावेगी ।

3. स्वीकृत नमूने के अनुसार गुणवत्ता शासन मापदण्ड अनुसार होनी चाहिये वर्दियों के कपडे के दिये गये सेम्पल में भिन्नता होने पर वर्दियां तत्काल वापिस की जायेगी ।
4. स्वीकृत नमूने के अनुसार क्वालिटी शासन मापदण्ड अनुसार एवं वर्दियों की सुपुर्दगी जिला कार्यालय के प्रभारी राजस्व लेखा शाखा में भौतिक सत्यापन के पश्चात प्रदाय की जायेगी ।
5. उपरोक्त कार्य में वर्दियों का क्रय शासन नियमानुसार 30 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों/विक्रेताओं/इकाईयों/संस्थाओं/उत्पादकों से क्रय किया जाना अनिवार्य होगा इस बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे । जिससे भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावे ।

॥ कलेक्टर द्वारा अनुमोदित ॥

  
डिप्टी कलेक्टर  
श्रीहते-कलेक्टर-भिण्ड

O/c